अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी करें पालन

देवघर। देश के हर नागरिक को अपने अधिकार प्राप्ति के साथ-साथ कर्तव्य पालन की दिशा में भी सचेत रहना चाहिए। उपर्युक्त बातें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोहनपुर प्रखंड के झारखंडी पंचायत में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर के सचिव- सह- न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चंद्रा ने कही। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर के तत्वावधान में आयोजित इस विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा सबों के लिए जरूरी है। हमें अधिक से अधिक विधिक जानकारियां रखकर कानून का पालन करने की दिशा में सदैव सचेत रहना चाहिए। उन्होंने प्राधिकार के गठन, उद्देश्य व उसके माध्यम से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान की। इस अवसर पर डालसाकर्मी निशिकांत सिंह, अधिवक्ता राजीव रंजन महतो सहित पारा लीगल वॉलेंटियर सेतु सुमन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

कार्यक्रम न्यायिक पदाधिकारियों ने निकाली पदयात्रा

सत्य, अहिंसा व शांति का दिया संदेश

विधि संवाददाता, देवघर

राष्ट्रपित महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कचहरी परिसर में किया गया. इसमें न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, मीडियेटर, पीएलवी व कोर्ट के कर्मी शामिल हुए. राष्ट्रपिता की तस्वीर पर डालसा सचिव प्रताप चंद्र ने पहले माल्यार्पण किया, इसके बाद सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन किये. इसके बाद सिविल कोर्ट कैंपस से पदयात्रा निकाली गयी, जो आंबेडकर चौक होते हुए कचहरी परिसर में खत्म हुई. इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों ने बापू के बताये गये सत्य व अहिंसा के संदेशों के प्रति जागरूक किया. पैनल अधिवक्ताओं ने लोगों को इस यात्रा के माध्यम से शांति का संदेश दिया. कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों में डालसा सचिव के अलावा दीपक कुमार, आलोक मरांडी, प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका प्रसाद, मान्या टंडन, मुकेश पाठक, डालसा के सहायक निशिकांत सिंह, अवधेश कुमार, देवेंद्र कुमार सिंह, सुदीप ओझा, शशि शेखर सिंह, दया शंकर झा, शैलेश कुमार, पीएलवी सेतु सुमन, प्रणय कुमार आदि मौजूद थे.

पदयात्रा में शामिल न्यायिक पदाधिकारी, पैनल एडवोकेट, पीएलवी व कर्मी.

अनिल कुमार, गोपाल यादव, गणेश कुमार,

झारखंडी में लगी कानूनी जागरुकता शिविर

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोहनपुर प्रखंड के झारखंडी पंचायत भवन में कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ. इसमें डालसा सचिव प्रताप चंद्र ने कहा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें एवं सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का अवश्य लाभ लें. साथ ही लोक अदालत की उपयोगिता के बारे में बताया. कहा कि अपने मुकदमों को सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन करा लें. इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता राजीव रंजन महतो, डालसा के सहायक निशिकांत सिंह आदि मौजूद थे.

कांग्रेस चलायेगा सदस्यता अभियान

गांधी के संदेश आज भी प्रासंगिक: जज

देवघर | प्रतिनिधि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश आज भी प्रासंगिक है, उनका सत्य और अहिंसा का नारा आज के वातावरण में शांति स्थापित करने में कामयाब हो सकता है। उपर्युक्त बातें देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार मिश्रा ने व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में पदयात्रा निकाले जाने के पूर्व हिन्दुस्तान के साथ बातचीत में कहीं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों व व्यवहार न्यायालय कर्मियों की पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार मिश्रा के अगुवायी में आयोजित पदयात्रा व्यवहार न्यायालय परिसर से निकलकर अंबेडकर चौक होते हुए वापस व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंची। उसके बाद व्यवहार न्यायालय कर्मियों द्वारा साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों के बीच विधिक जागरूकता की भावना के प्रसार के लिए पम्पलेट वितरण राहगीरों के बीच किया गया। पदयात्रा कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुज कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय गरिमा मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ संजीव कुमार भाटिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सिविल जज (सीनियर डिविजन) प्रथम-सह- एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति आदि थे।

केंद्रीय कारा में बंदियों के आवेदनों पर हुई सुनवाई

देवघर. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय कारा देवघर में जेल अदालत का आयोजन किया गया. इसमें बंदियों के आवेदनों पर न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सुनवाई की गयी व विधिसम्मत निर्देश दिया गया. इस अवसर पर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में न्यायिक पदाधिकारियों व पैनल अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया. साथ ही बंदियों को अच्छे नागरिक बनने का संदेश दिया गया. कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार वर्मा के अलावा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र समेत कई न्यायिक पदाधिकारी शरीक हुए.